

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 1/6 / 516 / 2010 / बजट-1 / चार

भोपाल, दिनांक 09 / 02 / 2012

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषय - आयोजना मद में पुनर्वितरण .

संदर्भ - वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 442 / 516 / बजट-1 / 2010 दिनांक 30 / 04 / 2010 एवं 56E / 516 / बजट-1 / 2010 दिनांक 08 / 06 / 2010 .

-00-

उपरोक्त संदर्भ में आयोजना मद अन्तर्गत एक त्रैमास से अन्य त्रैमास में पुनर्वितरण के लिए वर्तमान व्यवस्था में निम्नांकित संशोधन किया जाता है-

1. आयोजना मद अंतर्गत त्रैमासिक वितरित की गई राशि में से संबंधित प्रशासकीय विभाग अपनी आवश्यकतानुसार आगामी त्रैमासों की राशि चालू त्रैमास में उपयोग हेतु स्वयं के स्तर पर पुनर्वितरित कर सकते हैं! इस हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी!
2. केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्र क्षेत्रीय आयोजना मदों, जिनके राज्यांश/केन्द्रांश का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाना है, प्रशासकीय विभाग, राशि के पुनर्वितरण के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्रांश की राशि प्राप्त हो चुकी है।

उपरोक्तानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

(अमित रावौर)

संचालक, बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि -

1. समस्त अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 2. वित्तीय सलाहकार, आदिम जाति/अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 3. समस्त अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 4. निज सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
 5. संचालनालय, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश,
 6. समस्त बजट शाखाएँ, वित्त विभाग,
 7. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(वीरेन्द्र कुमार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग